न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती हंस कुंवर पत्नी स्वर्गीय महेन्द्र सिंह जी महियारिया, निवासी 63, मधुबन, उदयपुर (राज.)
2. यशपाल सिंह पिता स्वर्गीय महेन्द्र सिंह जी महियारिया, निवासी 63, मधुबन, उदयपुर (राज.)
3. सुखदेव सिंह पिता स्वर्गीय महेन्द्र सिंह जी महियारिया, निवासी 63, मधुबन, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जैत सिंह पिता स्वर्गीय किशन सिंह जी राजपूत, निवासी फेरनियों का गुड़ा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. शंकर पिता गंगाराम जी डांगी, निवासी फेरनियों का गुड़ा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
दिनांक 05.04.2018, प्र॰ सं॰ 1/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री सुशील कोठारी अभिभाषक अपीलान्टगण

2. रेस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थिति

———::———

निर्णय दिनांक

28–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम थूर में प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाद पत्र की कलम संख्या 1

के ''क'', ''ख'', ''ग'' में वर्णित हैं। प्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य होकर उनकी भूमि के उत्तर पूर्व दिशा में आराजी नंबर 1951 व 1952 की भूमि है तथा इसके बाद आम रास्ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के खेतों के पूर्व दिशा में नाला है तथा नाले से लगी विपक्षीगण की भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण 100 वर्षो से करते चले आ रहे हैं, परन्तु नाले में पानी होने की स्थिति में विपक्षीगण द्वारा अपनी भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनाने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा हो रही है। अतः प्रार्थीगण को आराजी नंबर 1951 व 1952 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित राशि अदा करने को तैयार हैं।

प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा विशेष उत्तर में निवेदन किया कि प्रार्थीगण नाले की जमीन का उपयोग असरे से करते चले आ रहे हैं, इसलिए 20 फिट चौड़ा रास्ता लघु जोतों से नहीं दिया जा सकता। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 05–04–2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11–06–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से पूर्व में वकील श्री प्रकाश पानेरी उपस्थित हुए, किन्तु वक्त बहस रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय स्वयं ने

मौका देखना बताया है किन्तु रेकार्ड पर कोई पर्चा मौका नहीं है, न ही अपीलान्ट को मौका निरीक्षण की कोई सूचना दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने बगैर विधिक प्रावधानों का अवलोकन किये नाले की भूमि को स्थायी रास्ता बता दिया है, जो माननोय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में पारित निर्णय की अवहेलना है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि वर्षा ऋतु में चार माह नाले में या तो पानी रहता है अथवा कीचड़ रहता है, जिससे रास्ते का निर्बाध आवागमन संभव नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर उसे रेस्पोन्डेन्टगण की आराजी नंबर 1951 व 1952 से 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे। अपीलान्टगण नियमानुसार मूल्य अथवा भूमि के बदले भूमि देने को सहमत हैं।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने अपने प्रश्नगत निर्णय में यह माना है कि नाले का उपयोग रास्ते के रूप में निरन्तर किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में पारित निर्णय की स्पष्ट अवहेलना है, क्योंकि उस निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि नदी, नाले व तालाब की भूमि की स्थिति को यथावत रखा जावे जैसाकि वह वर्ष 1947 में रही है। ऐसी स्थिति में नाले की भूमि को स्थायी रास्ता मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह स्पष्ट रूप से माननोय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–04–2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करें तथा यदि मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो अपीलान्ट/प्रार्थीगण को रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण की आराजी नंबर 1951 व 1952 से रास्ता दिलाया जावे तथा इसके बदले अपीलान्ट/प्रार्थीगण से नियमानुसार

राशि अथवा भूमि के बदले भूमि रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण को दिलवायी जावे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर